भारत के राजपत्र असाधारण भाग–II, खण्ड–3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन

अधिसूचना सं० 20/2015–2020
नई दिल्ली:– 14 अगस्त, 2017

विषय: वर्ष 2017–18 के दौरान मालदीव गणराज्य को अनिवार्य वस्तुओं की आपूर्ति।

सा० आ० (ड०) विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015–2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा वर्ष 2017–18 की अवधि के दौरान भारत सरकार और मालदीव सरकार के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौता के तहत मालदीव गणराज्य को अण्डों और दालों की निम्नलिखित मात्रा के निर्यात की अनुमति देती है:

मद	**मात्रा**
अण्डे	232805000
दाल	122.23 मी० टन

2. मालदीव गणराज्य को उपर्युक्त मदों का निर्यात वर्ष 2017–18 की अवधि के दौरान किसी मौजूदा या भावी प्रतिबंध/निषेध से मुक्त होगा।

3. **इस अधिसूचना का प्रभाव:**

उपर्युक्त पैरा 1 की तालिका में दर्शायी गई मात्रा के अनुसार वर्ष 2017–18 की अवधि के दौरान अप्रैल, 2017 से भारत सरकार और मालदीव सरकार के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौता के अंतर्गत मालदीव गणराज्य को अण्डे और दाल के निर्यात की अनुमति दी गई है। मालदीव गणराज्य को उपर्युक्त मदों का निर्यात, निर्यात संबंधी किसी मौजूदा या भावी प्रतिबंध/निषेध से मुक्त होगा।

(आलोक वर्धन चतुर्वेदी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई–मेल: dgft@nic.in

(फा० सं० 01/91/171/59/एएम09/निर्यात प्रकोष्ठ से जारी)